



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक 1943 (श०)
(सं० पटना 947) पटना, वृहस्पतिवार, 18 नवम्बर 2021

सं० 27 / आरोप-01-57 / 2020 / 12414-सा०प्र०

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

22 अक्टूबर 2021

श्रीमती राखी कुमारी केशरी, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 173/19, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर सम्प्रति विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, (सामान्य प्रशासन विभाग) संबद्ध शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध वर्ष-2007-08 में इंदिरा आवास योजना के आवंटन में अनियमितता बरते जाने संबंधी आरोप पत्र आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल छपरा के पत्रांक-1341, दिनांक-07.07.2021 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त आरोप पत्र के आधार पर इस विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक-9719, दिनांक-31.08.2021 द्वारा श्रीमती केशरी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्रीमती केशरी का स्पष्टीकरण (दिनांक-20.09.2021) प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा गलत प्रतिवेदन एवं कार्यालय की भूल के कारण गलत व्यक्तियों को इंदिरा आवास आवंटन को स्वीकार करते हुए कहा गया कि इसकी जानकारी प्राप्त होते ही श्रीमती केशरी द्वारा तत्परता के साथ वसूली की कार्यवाई की गयी और वैसे लाभुकों को दी गयी राशि की वसूली कर उसे नजारात में जमा कराया गया है।

श्रीमती केशरी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्रीमती केशरी द्वारा इंदिरा आवास के गलत लाभुकों से राशि की वसूली की गयी है, जिसके कारण राज्य को वित्तीय क्षति नहीं हुई है, लेकिन गलत लाभुकों को इंदिरा आवास आवंटित होने में कही न कही इनके द्वारा कर्तव्यगत लापरवाही एवं दायित्वहीनता बरती गयी है और अपने अधीनस्थ पर्यवेक्षी पदाधिकारियों तथा कार्यालय पर समुचित नियंत्रण नहीं रखा गया है। इस कर्तव्यगत शिथिलता के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती केशरी को एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्णित स्थिति में श्रीमती राखी कुमारी केशरी, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 173/19, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर सम्प्रति विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, (सामान्य प्रशासन विभाग) संबंध शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथासंशोधित के नियम-14 के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 947-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>